

अपीलकर्ता : बंदी कौशल चौधरी पुत्र श्री नन्द किशोर
आर.टी.आई ज्ञापन संख्या : 217 दिनांक 12/10/2022
अपील क्रम संख्या : 79 दिनांक 21/10/2022

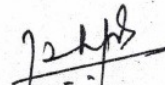
आर.टी.आई. आवेदन, जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार संख्या-(01) द्वारा प्रदान किये गये ज्ञापन दिनांक 12/10/2022 और प्रथम अपील का अवलोकन किया।

अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने अवगत कराया कि जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या- 1, तिहाड़ द्वारा दिए गए ज्ञापन में प्रश्न संख्या- 2 की सूचना प्रदान नहीं की गई है।

फाइल पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या-1, तिहाड़, नई दिल्ली द्वारा दिया गया ज्ञापन संतोषजनक व पर्याप्त है तथा इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

यदि अपीलकर्ता आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह 90 दिनों के भीतर माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबागंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।


उप महानिरीक्षक कारागार (तिहाड़)/
प्रथम अपीलीय अधिकारी

बंदी कौशल चौधरी पुत्र श्री नन्द किशोर



F10(3476489)/ID-Appeal General/CJ/Legal/2022/6310-11 Dated: 31/10/2022

आवश्यक सूचना के लिए प्रतिलिपि:-

जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार संख्या-1, तिहाड़, नई दिल्ली-110064.